राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
37/25	16.05.25	13.09.2025

बउनवान

1. रामकिशन पुत्र गंगासहाय, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा।
2. रामखिलाडी पुत्र हरसहाय, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1.अभिभाषक प्रार्थी – श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर।

2 .अप्रार्थी– तहसीलदार बैजूपाडा ।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. आज पत्रावली **राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा** में पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी भूमि ग्राम निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा नं. 638 रकबा 0.20 हैक्टे., 641 रकबा 0.17 हैक्टे., कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 हैक्टे. है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजीयात के सटवा में ही अन्य खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं. 2 की आराजी है जिन्होंने प्रार्थी की खातेदारी की डोलमेड को ट्रैक्टरों से जोत कर खेतो के मध्य के सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है एवं वर्तमान में मौके पर खेतों के मध्य में डोल मेड व सीमा चिन्ह स्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपने खेतों में फसल काश्त करते समय ट्रैक्टर से अपने खेतों को जोतने पर पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 को बार बार लट्ठ लेकर झगडा करने पर आमादा हो जाते है और बोलते है कि तुम्हारी जमीन यहां तक नहीं है। प्रार्थी ने कहा कि राजीखुशी जमीन का सीमाज्ञान करवालो तुम्हारी जमीन जहां पर आये वहां पर आप ले लेना तथा हमारी जमीन जहां तक होगी हम ले लेगे किन्तु पडौसी खातेदारान भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु सहमत नहीं है, आये दिन झगडा फिसाद होने पर प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की आराजी का दिनांक 02.05.2025 को पैमाईश भी करवा ली है। उक्त सीमा ज्ञान पटवारी हल्का, निहालपुरा के द्वारा पडौसी खातेदारों की मौजूदगी में करवाया गया था लेकिन पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी उक्त पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी आराजी की

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार बैजूपाडा के समक्ष सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय बैजूपाडा द्वारा टीम गठित कर दिनांक 01.05.2025 को प्रार्थी की विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान का आदेश पारित कर दिया व आदेश की पालना में राजस्व विभाग के पटवारी हल्का निहालपुरा द्वारा मौके पर पहुंच कर उक्त नम्बरों का सीमाज्ञान करके मौके पर निशानात लगाये। उसी के अनुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विवादित आराजीयात ग्राम निहालपुरा में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाना चस्पा किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की विवादित आराजी खसरा नं. 638, 641 का सीमाज्ञान दिनांक 02.05.2025 के अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार बैजूपाडा व थानाधिकारी बैजूपाडा को आदेश करे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थी सं. 2 की ओर से न्यायालय में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया।

3. अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा सं. 638 रकबा 0.20 हैक्टे., 641 रकबा 0.17 हैक्टे., कुल किता 02 कुल रकबा 0.37 हैक्टे. भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड रामकिशन पुत्र गंगासहाय सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान दिनांक 02.05.2025 किया गया।

4. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, आराजी खसरा नं. 638, 641 का प्रार्थी दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात का दिनांक 02.05.2025 को तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थी अपने खेत की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

5. अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा नं. 638 रकबा 0.20 हैक्टे., 641 रकबा 0.17 हैक्टे., कुल किता 02 कुल रकबा 0.37 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक गोलाडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक गोलाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में सुनाया गया।

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा